

प्रेस नोट संख्या- 42

दिनांक 22.06.2024

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा 18 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 22.06.2024 को उ0नि0 सुरेश चन्द्र यादव थाना मुंशीगंज मय हमराही देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान अभियुक्त अरविन्द तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पुत्र रामराज तिवारी निवासी ग्राम गोपालपुर मजरे टिकरिया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष को दरपीपुर मोड़ तिराहा के पास से समय करीब 07:05AM बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबन्ध में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- अरविन्द तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी पुत्र रामराज तिवारी निवासी ग्राम गोपालपुर मजरे टिकरिया थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष को ।

बरामदगी-

- 18 ग्राम स्मैक ।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 123/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सुरेश चन्द्र यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
2. का0 आनन्द यादव थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।
3. का0 मनीष कुमार थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी ।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 91/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना व जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 327/2021 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)ध, 3(2) द, 3(2)V एससी एसटी एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 370/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।